प्रतिरूप

मानचित्र की शीट संख्या- (19) पर अंकित प्रतिरूप का पालन करना अनिवार्य है।

नगर मानचित्र उ०प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम १९७३ की धारा ५ के अन्तर्गत इस प्रतिरूप को स्वीकृत किया जाता है। विकास प्राधिकरण भूमि विक्रय व्यापार के लिए विधिक बाध्य नहीं है।

विकास प्राधिकरण
स्वीकृति
परमिट सं० 38151
स्वीकृत तिथि 26-5-2015
वैधता तिथि 25-5-2020
मु०अ० भवन

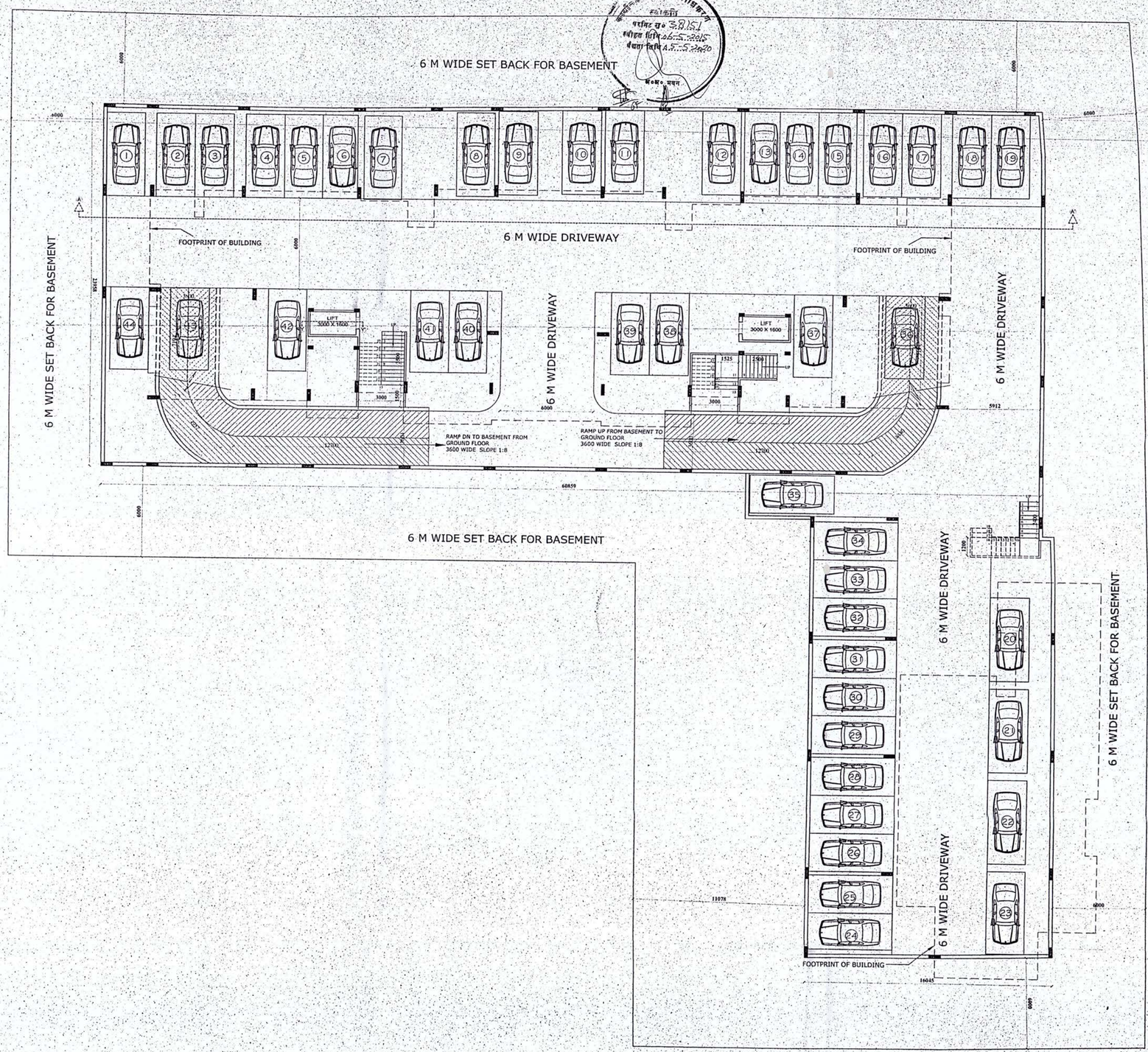

PROJECT:	SCALE :	DRG NO.:	DATE	CHECKED:	OWNER:		ARCHITECTS :
PROPOSED GROUP HOUSING PROJECT FOR SHRI MAHABEER SINGH, SHRI MRITUNJAYA SINGH SHRI SURAJ BUX SINGH ON PLOT NO.42-A/42-B AT WAZIR HASAN ROAD, LUCKNOW	1:100	3/9	OCT.-2014			प्रमाणित किया जाता है कि भवन मानचित्र विधि / उपविधि तथा महायोजना २०२१ के प्राविधानों के अन्तर्गत तैयार किया गया है।	design 31 group
		DRAWING TITLE: BASEMENT FLOOR PLAN	North:	DEALT BY: FAIZAN		भू-स्वामी / वास्तुविद architect arun kumar	